

हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
77वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 23/06/2023

समय:- अपरान्ह 12:30 बजे

स्थान :- हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण, सभागार

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.2023 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद


मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 एवं 76 वीं बोर्ड (परिचालन) दिनांक 09.03.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 एवं 76 बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2023 की अनुपालन आख्या।	02 से 17 तक
3	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	18 से 25 तक
4	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	26 से 27 तक
5	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911/2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/ मोबाईल/ बेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, बिन्दु संख्या-7.22 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	28 से 36 तक
6	ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड खसरा नं० 1533 मि० पर श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मैनपाल सिंह निवासी गाम सलेमपुर महदूद परगना रूड़की तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन में फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	37 से 38 तक
7	ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं० 806/2 व 807/1/3 पर शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टनर श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल ग्राम रानीपुर में आवासीय भू उपयोग के अन्तर्गत होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	39 से 40 तक
8	ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं० 709 मि० व 710/03 मि० पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश व श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल आदि द्वारा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग व 60 मी० महायोजना मार्ग पर होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	41 से 42 तक
9	मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर :-सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी:-आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, ग्राम-अहमदपुर कड़छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।	43 से 45 तक
10	ग्राम रूहालकी किशनपुर बहादुराबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 208 मि० 9856.22 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	46

11	राजस्व ग्राम अहमदपुर ,खसरा नं0 2 म, 1म, रकबा-9540 वर्गमीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	47
12	राजस्व ग्राम सराय तहसील व जिला-हरिद्वार के खाता सं0-27, खसरा नम्बर 217 रकबई 0.4920 हैक्टेयर में से 0.2811 हैक्टेयर कृषि भूमि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	48
13	प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में	49
14	टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	50
15	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास परिषद में आवासीय भूखण्डों पर निर्मित व्यावसायिक भवनों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में	51
16	हरिद्वार महायोजना-2025 की विसंगतियों के सम्बन्ध में	52
17	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	53

मद संख्या 77-(01)

प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 एवं 76 वीं बोर्ड (परिचालन) दिनांक 09.03.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 को तथा 76 वीं बोर्ड (परिचालन) दिनांक 09.03.2023 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 75वीं एवं 76वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाये।


अनिलकुमार जोशी
अभिभारती अभियन्ता


**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 77 वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 23-06-2023 का कार्यवृत्त।**


प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23-06-2023 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :-
बैठक की उपस्थिति :-


- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुशील कुमार शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए. | अध्यक्ष |
| 2. श्री धीराज सिंह गर्बाल, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री वीरसिंह बुदियाल, अपर जिला हरिद्वार (जिलाधिकारी के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 4. सुश्री नीतू मण्डारी, मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 5. श्री वी.के.मोर्या, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 6. सुरेश सिंह यादव, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 7. एम.मुस्तफा, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, पेयजल विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 8. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड) | पदेन सदस्य |
| 9. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर | पदेन सदस्य |
| 10. श्री अमरजीत कौर, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार । | पदेन सदस्य |

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या-77 (01) प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2022 एवं 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09-03-2023 (परिचालन) के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 एवं 76 बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2023 की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
मद संख्या 75(02)			
70(05)	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च (शहीद पार्क) के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने विषयक अनुपालन आख्या/प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि हरिद्वार तीर्थ की गरिमा के अनुरूप 23 मार्च (शहीद) पार्क को विकसित/सौन्दर्यीकरण कराया जाय तथा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा गोविन्द घाट-परशुराम घाट-गोविन्दपुरी हरिद्वार स्थित खाली भूमि का स्थल निरीक्षण करते हुए तदनुसार पार्क विकसित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	01.बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च पार्क (शहीद पार्क) का सौन्दर्यीकरण हेतु पार्क की ड्राईंग, डिजाइन डी0पी0आर0 तैयार की गयी है जिसमें निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है। 02. गोविन्द घाट, परशुराम घाट, गोविन्दपुरी हरिद्वार विकसित किये जाने हेतु उक्त स्थलों निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को उक्त स्थलों के विकसित/सौन्दर्यीकरण किये जाने से पूर्व एन0ओ0सी0 हेतु पत्र संख्या 3979 दिनांक 17 जनवरी 2023 प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा अपने पत्र संख्या 698 दिनांक 27.03.2023 द्वारा उक्त कार्य हेतु एन0ओ0सी0 दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है। जिसपर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा आदेशित किया गया है कि यदि एन0ओ0सी0 नहीं तो पार्क का निर्माण नहीं। तदनुसार बिन्दु संख्या 02 का प्रस्ताव निरस्त किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।
70(10)	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कड़छ से लेकर गुरुद्वारा रोड तक नाले का सुदृढीकरण का कार्य।	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कड़छ से लेकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिए अनुमोदित रू०. 941.02 लाख की स्वीकृति में बढोतरी /विचलन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से प्रस्ताव विचलन स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त करते हुए प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 4071 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा संशोधित लागत रू०. 1278.09 लाख की स्वीकृति कार्यवाही संस्था को प्रेषित कर दी गयी है। स्थल पर लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कार्य गतिमान है।

मद संख्या-77 (02)

70 (05) हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च (शहीद पार्क) के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।


2-गोविन्द घाट, परशुराम घाट, गोविन्दपुरी हरिद्वार में पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, उत्तरी गंग नहर रुड़की (उ0प्र0) को एन0ओ0सी0 दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा पत्र के माध्यम से एन0ओ0सी0 दिये जाने में असहमति व्यक्त की गई जिस पर बोर्ड द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को एन0ओ0सी0 हेतु सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

70 (10)

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मी0 कडुछ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये अनुमोदित रू0 1278.09 लाख की स्वीकृति के अनुसार कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये ।

मद संख्या-72 (04)

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में क्रय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार अवस्थापना विकास कार्य हेतु रू0 1827.22 लाख स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

70(29)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त जोनल प्लान को प्रस्तावित अमृत योजना के हरिद्वार महायोजना-2041 के अन्तर्गत समायोजित करते हुए तदनुसार पुनरीक्षित किये जाने के निर्देश मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना 2025 पर आधारित जोनल प्लान को हरिद्वार महायोजना 2041 में समायोजित किये जाने की कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र संख्या 3869 दिनांक 04.01.2023 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, देहरादून को प्रेषित किया गया है। चूंकि महायोजना 2025 के आधार पर तैयार जोनल प्लान का समायोजन अमृत योजना 2041 में किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 75(09) में समायोजित किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
72(04)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए 01 माह के अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने एवं संयुक्त सचिव, एच0आर0डी0ए0/संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की को उक्त कार्य योजना का नियमित अनुश्रवण/मानीटरिंग किये जाने के निर्देश किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में चयनित वास्तुतिद द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की गयी है। जिसका परीक्षण प्राधिकरण स्तर से करते हुए योजना में अवस्थापना विकास कार्यों हेतु रू0. 1827.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में रू0. 1151.53 लाख की निविदा की कार्यवाही जा रही है। तदनुसार बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।
72(05)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के सापेक्ष प्राप्त 891 आवेदकों के पात्रता की जांच/सत्यापन कार्य स्थानीय निकायों के द्वारा 15 दिन के अन्दर किये जाने एवं तदनुसार आवंटन आदि की कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्मित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के सापेक्ष प्राप्त 891 आवेदकों के पात्रता की जांच/सत्यापन कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया गया। जिसमें कुल 845 आवेदक पात्र पाये गये। तदोपरान्त दिनांक 24.04.2023 को पात्र आवेदकों के मध्य ऋषिकुल ऑडिटरियम हरिद्वार में 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों को लॉटरी के माध्यम से आवंटियों के चयन तथा भवन संख्या आवंटित किये जाने की प्रक्रिया सम्पादित करायी गयी। आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ लीजडीड/

72(08)	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को अनुस्मारक पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड को बहुमंजिले भवन को एकल आवास माना जाय अथवा नहीं पर निर्णय हेतु पत्र संख्या 3908 दिनांक 09.01.2023 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 1934 दिनांक 20.06.2023 प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।
72(10)	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुसूचना शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुसूचना शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम, हरिद्वार को Hand Over किये जाने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता से किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त विवरण सहित प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या 4492 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा प्रेषित किया गया है। नगर निगम द्वारा उक्त योजना को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।
74(04)	श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में शिथिलकरण हेतु प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या 1561 दिनांक 07.07.2022 द्वारा शासन को संदर्भित किया गया है शासन से शिथिलकरण हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
74(05)	श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा गाम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न0 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा गाम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न0 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी0टी0सी0पी0 की राय के अनुसार एवं अग्निशमन विभाग की अनापत्ति के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में ऑनलाईन मानचित्र संख्या HRDA/NC/0301/2021-22 स्वीकृत करते हुए निर्गत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
74(06)	माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि0 ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0035/22-23 के	माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि0 ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0035/22-23 के कम में प्रस्तावित आश्रम भवन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर उडा से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण को उडा बोर्ड के निर्णय हेतु उडा को हस्तांतरित किया गया। शासनादेश संख्या 40 दिनांक 07.01.2022 के बिन्दु संख्या 4.1, 4.2, 5.1, 5.5 के अनुसार आश्रम हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 500 वर्गमी0 अनुमन्य होने एवं पंहुच


मद संख्या-72 (05) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवंटियों से ससमय धनराशि जमा कराने तथा भारत सरकार /राज्य सरकार से प्राधिकरण अंशदान प्राप्त किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये।


मद संख्या-72 (08) प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि पुनः शासन को अनुस्मारक प्रेषित किया जाय।


मद संख्या-72 (10) प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम हरिद्वार को Hand Over किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनहित में नगर निगम को शीर्ष प्राथमिकता से हस्तान्तरित किया जाय जिससे भवन कर से नगर निगम की आय सुदृढ़ होगी, योजना हस्तान्तरण से स्वामित्व प्राधिकरण का ही रहेगा।

मद संख्या-74 (04) श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वार स्थल खसरा सं0-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला- हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (10) श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं0-801 मि0 रकबा 380.00 वर्ग मी0, खसरा सं0-824 मि0रकबा 5402.00 वर्ग


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

	कम में प्रस्तावित आश्रम भवन के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		<p>मार्ग पर सी०टी०सी०पी० की राय पत्रांक संख्या 668 दिनांक 09 मार्च 2023 के अनुसार महायोजना मार्ग में ऐसे डेड एण्ड मार्ग जिनकी चौड़ाई 6.0 मी० तथा लम्बाई मुख्य वाहनीय मार्ग से अधिकतम 200 मी० से कम दूरी पर स्थित होने पर महायोजना मार्ग को प्रश्नगत प्रकरण को पड़ुंघ मार्ग मानते हुए शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26.07.2021 में प्रतिनिवायित अधिकारिता के दृष्टिगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से स्थलानुसार पुष्टि करते हुए प्रकरण के भूखण्ड क्षेत्रफल एवं मार्ग शिथिलता हेतु विचार कर निर्णय लिया जाना उचित होगा। अतएव दोनों मानक भवन उपविधि के अनुरूप होने के कारण छूट की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>अवगत कराना है कि वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रश्नगत मानचित्र में आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के फलस्वरूप पत्रावली ऑटोरिजेक्ट हो चुकी है। आवेदक द्वारा पुनः आवेदन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
74(07)	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरमान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के कम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण पर अपनी राय दी जा चुकी है, तदनुसार सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार प्रकरण पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरमान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के कम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण पर अपनी राय दी जा चुकी है, तदनुसार सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार प्रकरण पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 3556/HRDA/NC/OTS/0133/2021-22 दिनांक 26.11.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त के कम नियोजन विभाग देहरादून के पत्र संख्या 2393 दिनांक 13.12.2022 द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त है। प्रकरण से सम्बन्धित मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
74(08)	खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "गुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "गुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण पर अपनी राय दी जा चुकी है, तदनुसार सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार प्रकरण पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रहा है। आवेदक द्वारा वर्तमान तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>


74(10)	श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि० रकबा 380.0वर्गमी०, खसरा संख्या 824 मि०रकबा 5402.0 वर्गमी० कुल रकबा 5782.0 वर्गमी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि० रकबा 380.0वर्गमी०, खसरा संख्या 824 मि०रकबा 5402.0 वर्गमी० कुल रकबा 5782.0 वर्गमी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में खसरा संख्या 801 मि० रकबा 380.0वर्गमी०, खसरा संख्या 824 मि०रकबा 5402.0 वर्गमी० मौजा ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर हरिद्वार के अन्तर्गत कुल रकबा 5782.0 वर्गमी० भूमि हरिद्वार महायोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक भू-उपयोग से आवासीय में परिवर्तन विषयक शासन को कार्यालय पत्र संख्या 3993 दिनांक 19.01.2023 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या 1921 दिनांक 17.06.2023 प्रेषित किया गया है। शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
74(12)	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त लैण्ड की उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में सी०टी०सी०पी० से स्थल निरीक्षण/परीक्षण कराते हुए स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार विकास क्षेत्र में मैसर्स ए०एम०डी० इण्डस्ट्रीज की ग्राम पदार्था धनपुरा हरिद्वार की भूमि कय किये जाने हेतु प्रस्ताव पर स्थल निरीक्षण आख्या हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को कार्यालय पत्र संख्या 3909 दिनांक 09.01.2023 प्रेषित किया गया है। जिसके कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के द्वारा आख्या दी गयी है, कि 'प्रश्नगत स्थल खसरा संख्या 45, 43म०, 48, 41/2, 54, 52म०, 47, 51/2 व 52 का कुल क्षेत्रफल 9.7492 है० स्थित पदार्था उर्फ धनपुरा, परगना-ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग 15.0 मी० (हरित पट्टी सहित) मार्गाधिकार पर स्थित है। उक्त स्थल 29° 50'4" N अक्षांश एवं 78°07'00" E देशान्तर के लगभग स्थित है। प्रश्नगत स्थल के समीप मधु ग्लोगल एकेडमी व जीवन हॉस्पिटल, उक्त स्थल के समीप स्थित है तथ स्थल के सन्निकट आवासीय भवन भी विद्यमान हैं। शासनादेशानुसार जनपद-हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करते हुए हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का भाग बनाया गया है। अतः प्राधिकरण के लैण्ड बैंक की उपयोगिता क्षेत्र के सुनियोजित विकास के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल पदार्था उर्फ धनपुरा पदगना-ज्वालापुर जिला-हरिद्वार उपयुक्त स्थल है। "

मी० कुल रकबा 5782.00 वर्ग मी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


मद संख्या-74 (12) प्राधिकरण लेण्डबैंक हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त मैसर्स ए०एम०डी० इण्डस्ट्रीज की ग्राम पदार्था धनपुरा हरिद्वार की भूमि क्रय किये जाने के लिए उक्त भूमि के आस-पास की भूमि की कीमत का मूल्यांकन एक समिति से अधिशासी अगियन्ता, एच०आर०डी०ए०, तहसीलदार हरिद्वार, प्राधिकरण तहसीलदार, सम्पत्ति अधिकारी जिसमें सम्मिलित होंगे से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-74 (14) सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा टी०एच०डी०सी० से एन०ओ०सी० प्राप्त कर प्रकरण में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करते हुए शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-75 (05) श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहनलाल निवासी 53ए फ़ैण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली में रिसोर्ट हेतु प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

74(14)

सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन एवं तकनीकी पहलुओं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को सी0टी0सी0पी0 की राय लेते हुए शासन को आवश्यक कार्यवाही एवं दिशा निर्देश हेतु सन्दर्भित कर दिया जाय।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र संख्या 4499 दिनांक 24.03.2023 प्रेषित किया गया है। जिसके सापेक्ष प्राप्त सी0टी0सी0पी0 की आख्या संख्या 1196 दिनांक 18 मई 2023 में निम्न मत व्यक्त किया गया है।

1. उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या- 616, 433, 370, 434, 430, 355, 456, 646, 684, 690 एवं 406 का हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार भू उपयोग कृषि है
2. प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2022 के मद संख्या- 74(14) में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुसार हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर के पीछे सुमन नगर के नाम से काफी बड़े भू-भाग में अनाधिकृत रूप से कालोनियां विकसित हुई हैं। प्रश्नगत स्थल मूलरूप से टिहरी विस्थापितों को कृषि कार्य हेतु आवंटित था, जिसे बाद में विभिन्न व्यक्तियों तथा भूविकासकर्ताओं द्वारा कालोनी का स्वरूप दिया गया। वर्तमान समय तक इस क्षेत्रान्तर्गत 25 कालोनियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है तथा इन कालोनियों को बैरिकेडिंग के माध्यम से सील करते हुए पहुंच मार्ग को ध्वस्त किया गया है। हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग कृषि एवं हरित पट्टी है। वर्तमान में यह क्षेत्र पूर्णतः अविकसित है तथा कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा भवन भी निर्मित किये गये हैं। उक्त क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं में पेयजल व्यवस्था, सीवर व्यवस्था नियमानुसार मार्ग चौड़ाई, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी रहती है जिसकी निकासी हेतु कोई व्यवस्था भी

नहीं है। कतिपय कॉलोनार्इजर / व्याक्तया द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण / विकास को नियमित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. वर्तमान में अमृत उपयोजना अंतर्गत हरिद्वार नगर की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना-2041 तैयार की जा रही है। उक्त महायोजना के अंतर्गत सुमन नगर सहित प्रश्नगत क्षेत्र में निर्मित अवैध आवासीय भवनों के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय विचलन अंतर्गत प्रस्तावित होने की स्थिति में उक्त क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः प्रश्नगत क्षेत्र का आगामी महायोजना 2041 में भू-उपयोग आवासीय होने की दशा में सुमननगर एवं उसके समीप के क्षेत्र में प्रस्तावित ले- आउट / निर्मित आवासीय भवनों का निम्न प्रतिबंधों के साथ शमन किये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
4. प्रश्नगत भूमि मूल रूप से टिहरी विस्थापितों को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गयी थी। उक्त के संबंध में प्राधिकरण स्तर से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्षेत्र का आवासीय भवनों हेतु उपयोग किये जाने से पुर्नवास एवं विस्थापन अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है।
5. उस क्षेत्रान्तर्गत आवेदित एकल आवासीय भवनों के शमन के प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम मार्ग चौड़ाई 6.00 मी0भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
6. शमन के प्रकरणों में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियमन 2011 (2015) में निर्धारित न्यूनतम मार्ग चौड़ाई के मानकानुसार रोड वाईडनिंग निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रश्नगत क्षेत्र में ले-आउट प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में भवन उपविधि के मानकानुसार पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं प्रस्तावित किये जाने अथवा पार्क क्षेत्रफल के समतुल्य शुल्क प्राधिकरण में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
8. उक्त क्षेत्रान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल द्वारा

			<p>पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना तथा भवन उपविधि अनुसार आवेदकों से उप-विभाजन शुल्क लिया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>9. उक्त क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक मूलभूत सुविधायें यथा जल निकासी, सीवर व्यवस्था, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था एवं नियमानुसार मार्गाधिकार एवं आवास हेतु अन्य मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही शमन की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार सुमननगर एवं उसके समीप के क्षेत्रों में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों के निर्माणों के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के सम्मक्ष निर्णयार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।</p>
मद संख्या 75(03)	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 3990 दिनांक 18.01.2023 द्वारा शासन को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 75(04)	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72684/2022 देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72684/2022 देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 3989 दिनांक 18.01.2023 द्वारा शासन को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

<p>मद संख्या 75(05)</p>	<p>श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहनलाल निवासी 53ए फेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली में रिसोर्ट हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।</p>	<p>श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहनलाल निवासी 53ए फेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली में रिसोर्ट हेतु प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से कृषि भू-उपयोग में रिसोर्ट हेतु प्रस्ताव को अनुमन्य किया गया तथा मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उठा को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 3886/HRDA/NC/0053/22-23 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रेषित किया गया। तत्कम में नियोजन विभाग के पत्र संख्या 343 दिनांक 07.02.2023 द्वारा शिथिलता हेतु अपरिहार्य परिस्थितिया दशाये जाने की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 686-II दिनांक 16.05.2023 द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित किया जा चुका है। शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।</p>
<p>मद संख्या 75(06)</p>	<p>सलेमपुर महदूद-2 परगना रुडकी तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न० 1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज की शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>सलेमपुर महदूद-2 परगना रुडकी तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न० 1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज की शमन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सी०टी०सी०पी० से राय लिए जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण में सी०टी०सी०पी० की राय प्राप्त है। जिसमें उल्लिखित है कि:-</p> <p>01. खसरा संख्या 1715 मौजा सलेमपुर महदूद-2 परगना-रुडकी तहसील व जिला हरिद्वार का हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार भू-उपयोग के प्रश्नगत स्थल के सम्मुख 50.0 मी० महायोजना मार्ग उपरान्त आवासीय अन्तर्गत है। हरिद्वार महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार आवासीय भू-उपयोग अन्तर्गत मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला/गैराज प्राधिकरण बोर्ड /नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।</p> <p>02. प्रस्तुत की -प्लान अनुसार प्रश्नगत स्थल 50.0 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से संलग्न 9.0 मी० चौड़े तथा 88.0 मी० दूरी पर डेड एण्ड मार्ग पर स्थित दर्शाया गया है। भवन उपविधि के बिन्दु संख्या 2.61(3) के अनुसार ऐसे डेड एण्ड मार्ग जिनक लम्बाई मुख्य वाहनीय मार्ग से अधिकतम 200.0 मी० हो पर स्थित भू-खण्ड हेतु उक्त वाहनीय मार्ग को भू-खण्ड का पहुंच मार्ग माना जायेगा।</p> <p>प्रश्नगत स्थल 50.0 मी० चौड़े महायोजना मार्ग से सम्बद्ध 9.0 मी० चौड़े तथा 88.0 मी० लम्बाई वाले डेड एण्ड मार्ग पर स्थित होने के दृष्टिगत 50.0 मी० महायोजना मार्ग को प्रश्नगत स्थल का पहुंच मार्ग मानते हुए तथा प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना-2025 अनुसार भू-उपयोग आवासीय होने तथा परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार आवासीय</p>

			<p>भू-उपयोग अन्तर्गत वाहन मरम्मत वर्कशॉप/गैराज प्राधिकरण बोर्ड/ नियन्त्रक प्राधिकारिणी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य होने के दृष्टिगत उक्त प्रकरण के शेष मानकों की पुष्टि प्राधिकरण स्तर से करते हुये शमन हेतु विचार किया जाना उचित होगा।</p> <p>अवगत कराना है कि वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन आवेदन संख्या HRDA/CC/0138 /22-23 आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 10.02.2023 को ऑटोरिजेक्ट हो चुका है। आवेदक द्वारा पुनः आवेदन किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
मद संख्या 75(07)	ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 264मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा विद्यालय के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 264मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा विद्यालय के शमन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में प्रकरण में शमन आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0021/22-23 की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 75(08)	ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा न0 4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवास -ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा न0 4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवास -ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सी0टी0सी0पी0 की राय लेते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 की आख्या उनके पत्र संख्या 2500 दिनांक 26.12.2022 द्वारा निम्नवत् प्राप्त है। 01. प्रश्नगत खंख्या 28 मि0 537.17 वर्ग मी0 मार्गाधिकार अन्तर्गत 51.83 वर्गमी0 छोड़ने के उपरान्त नेट प्लॉट एरिया 486.08 वर्गमी0 का हरिद्वार महायोजना-2025 अन्तर्गत भू-उपयोग पर्यटन परिसर अन्तर्गत है। हरिद्वार महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियम अनुसार पर्यटन परिस अन्तर्गत पेट्रोल आपूर्ति केन्द्र प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। 02. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल सूखे नाले से


मद संख्या-75 (08) ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं-4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम निवासी -ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी0टी0सी0पी0 की आख्या पत्रांक-2500 दिनांक 26-12-2022 के अन्तिम पेशा में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल की दूरी स्थानीय सूखा नाला जो सदा वाहिनी नहीं है से 5 मीटर होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक को उक्त नाले का अतिक्रमण कर अपने निजी पेट्रोल पम्प हेतु उपयोग नहीं किये जाने तथा उक्त नाले को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा तदोपरान्त शपथकर्ता द्वारा नाला भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किये जाने तथा उक्त नाले को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्र दिनांक 09-01-2023 प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 की उपरोक्त आख्या के दृष्टिगत प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-75 (09) अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिद्वार महायोजना 2041 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 से प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-75 (12) शाखा कार्यालय रुड़की की स्थापना के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि रुड़की में नजूल आदि की भूमि यदि उपलब्ध है तो उसे जिलाधिकारी स्तर से प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा को दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

भू-उपयोग अन्तर्गत वाहन मरम्मत वर्कशॉप/गैराज
प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारिणी समा के

शासनादेश संख्या 1647/V-2/2021-11
(एल0यू0सी0)/2003 टी0सी0 दिनांक 05.10.2021
के नवीन प्राविधान (1) के अनुसार (मा0 राष्ट्रीय
हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 18 जनवरी
2019 OA-NO-86/2019 एवं आदेश दिनांक 27.
07.2020 एवं 09.10.2020 OA-NO-61 OF 2019
फिलिंग स्टेशन की स्थिति निम्नानुसार सुनिश्चित
की जायेगी।

- (i) नदी, नाले जलाशय, भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग इत्यादि
से फिलिंग स्टेशन की न्यूनतम दूरी 50.0 मी0
सुनिश्चित की जायेगी। इसमें Flood Plain का
संज्ञान लेते हुए Flood Plain से न्यूनतम 50.0 मी0
दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

अतः प्रश्नगत पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित
स्थल की दूरी स्थानीय सूखा नाला जो सदावाहिनी
नहीं है, से 05.0 मी0 होने के दृष्टिगत प्रश्नगत
प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा उक्त नाले का
अतिक्रमण कर अपने निजी पेट्रोल पम्प हेतु उपयोग
नहीं किये जाने तथा उक्त नाले को संरक्षित किये
जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त
प्रकरण के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा।

उक्त के सम्बन्ध में शपथकर्ता द्वारा प्रस्तावित
पेट्रोल पम्प के नक्शे में जो सूखा नाला दर्शाया गया
है जोकि सदावाहिनी नहीं है। पर शपथकर्ता द्वारा
किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किये जाने
सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 09.01.2023 किया गया है।

अतः सी0टी0सी0पी0 की उपरोक्त आख्या के क्रम
में प्रश्नगत फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति का प्रस्ताव
प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत
है।

नाथानन्द जोशी
अधिकारी प्राधिकरण

	<p>जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>एच0आर0डी0ए0 के अधिशासी अभियन्ता एवं 02 सहायक अभियन्ताओं की समिति गठित करते हुए समिति की सुस्पष्ट आख्या पर निर्णय/अनुमोदन प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष , एच0आर0डी0ए0 को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>प्रकरणों का अध्ययन करते हुए अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 18.04.2023 प्रस्तुत की गयी। जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. ऐसी कालोनी जिसका भू-उपयोग आवासीय हो अथवा महायोजना क्षेत्र के बाहर आबादी में दर्ज हो तथा जिनके आन्तरिक सड़कों की विद्यमान चौड़ाई 20.00 फिट अथवा 6.00 मी0 होना अनिवार्य रहेगा। 02. विद्यमान चौड़ाई के आधार पर मार्गाधिकार छोड़ते हुए मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 के आधार पर वांछित स्वीकृति की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। 03. सबडिवीजन 05 प्रतिशत (सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्रफल पर) 04. वाह्य विकास शुल्क रू0. 100 प्रति वर्गमी0 (सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्रफल पर) 05. तलपट मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त व्यक्तिगत भू-खण्डधारकों से भवन मानचित्र शमन/ स्वीकृत कराते समय रू0. 250 प्रति वर्गमी0 की दर से नियमानुसार निर्मित क्षेत्र पर विकास शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। 06. भू-विकासकर्ता को नियमानुसार ई0डब्लू0एस0 निर्मित अथवा शेल्टर फण्ड जमा करना होगा। 07. उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक एवं व्यक्तिगत भूखण्ड धारकों द्वारा नियमानुसार देय अन्य शुल्क भी यथावत रहेंगे। 08. ऐसे तलपट मानचित्र जो कि आवासीय कालोनी/योजना के शमन हेतु प्रस्तुत किये जाए, पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से तकनीकी परीक्षण आवश्यक होगा। <p>अतः समिति की आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस संशोधित कर कार्यालय पत्र संख्या 4565 दिनांक 31.03.2023 द्वारा श्री विनय गर्ग एडवोकेट को सूचित किया गया है।</p>
<p>मद संख्या 75(14)</p>	<p>मा0 उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस निर्धारण के सम्बन्ध म</p>	<p>मा0 उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	

मद संख्या-75 (13)

शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है सम्बन्धी प्रकरण पर सी0टी0सी0पी0, अधिशासी अभियन्ता एच0आर0डी0ए0 एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं की गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत 08 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त नई प्रचलित भवन उपविधि अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये ।


मद संख्या-75 (16.02)


हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी अनुपालन आख्या से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये ।

मद संख्या-76 (01)

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली-2004 एवं यथा समय-समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय-समय पर संशोधित को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी अनुपालन आख्या से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

(17)

			अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 75(15)	उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु एक ट्रेक्टर ट्राली टैंकर कय किये जाने के सम्बन्ध में।	उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु एक ट्रेक्टर ट्राली टैंकर कय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु ट्रेक्टर, ट्राली एवं टैंकर कय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
आयुक्त की अनुमति से अन्य मद			
मद संख्या 75(16) (01)	नगर निगम हरिद्वार हेतु पोर्टेबल काम्पेक्टर, हुक लोडर, एवं राईड ऑन टाईम स्वीपिंग मशीन आदि क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	नगर निगम हरिद्वार हेतु पोर्टेबल काम्पेक्टर, हुक लोडर, एवं राईड ऑन टाईम स्वीपिंग मशीन आदि क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु0. 195.70 लाख प्राधिकरण से उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु उपाध्यक्ष ४०००/१०/२०१० को अधिकृत किया गया।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। तदनुसार बजट उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 75(16) (02)	हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन विषयक, सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र संख्या 3977 दिनांक 17.01.2023 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 1933 दिनांक 20.06.2023 से संदर्भित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 76 बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक 09.03.2023 की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
76(01)	अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय-समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय-समय पर संशोधित को	उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-360 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय-समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा(सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय-समय पर संशोधित को प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अंगीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्कम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव निम्नवत् है:-	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय से शासन को कार्यालय पत्र संख्या 4363 दिनांक 13.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है। पुनः कार्यालय पत्र संख्या 1660 दिनांक 23.05.2023 में बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय की स्वीकृति हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

	अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>1. हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय-समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय-समय पर संशोधित को अंगीकृत किया जाना है।</p> <p>2. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा चयन करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को अधियाचन भेजने संबंधी कार्यवाही।</p> <p>3. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों हेतु हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।</p> <p>4. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर पदोन्नति एवं तैनाती (राज्य स्तर संवर्गीय) हेतु मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।</p> <p>उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियमावली अंगीकृत करने के उपरान्त इसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव (परिचालन के माध्यम से) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	
76(02)	नगर निगम हरिद्वार द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या-110, ग्राम सराय हरिद्वार में 2500.00 वर्गमी0 भूमि पर SORTING BALING SHREDDING AND STORAGE OF DRY MUNICIPAL SOLID WASTE के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति	नगर निगम हरिद्वार द्वारा खसरा संख्या-110, ग्राम सराय हरिद्वार में 2500.00 वर्गमी0 भूमि पर SORTING BALING SHREDDING AND STORAGE OF DRY MUNICIPAL SOLID WASTE के निर्माण हेतु CAF-ID NO-42918 के द्वारा अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। पत्रावली के गतनोट शीट संख्या-01 पर प्रस्तुत आख्यानानुसार हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत "ग्रामीण आबादी के स्पोर्ट जोन सीमा के अन्तर्गत एकल आवासीय भवन, दैनिक उपयोग की दुकाने, फार्म हाउस एवं उस से संबंधित भवन, कृषि,	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक 09.03.2023 की सूचना कार्यालय पत्र संख्या 4363 दिनांक 13.03.2023 द्वारा नगर निगम को दी गयी। अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में नगर निगम हरिद्वार द्वारा आतिथि तक शमन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। शमन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

के संबंध में।

बागवानी, घाय बागान, बाग, नर्सरी, खुला पिकनिक स्थल, वन्य जीव पार्क / अम्यारण, वन क्षेत्र, सामाजिक वानिकी, दुग्ध एवं मुर्गी पालन केन्द्र, कुटीर उद्योग, भण्डारण, शोधन एवं विक्रय केन्द्र, फीलिंग एवं सर्विस स्टेशन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं से संबंधित भवन, पशु चिकित्सालय" अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लिखित भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण के संबंध में भवन उपविधि के मानकों में कोई उल्लेख अथवा विवरण न होने के कारण प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या-1922 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा वरिष्ठ ग्राम एवं नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था।

उक्त के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-1494 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि हरिद्वार महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या-10.3.7 कृषि एवं हरित क्षेत्रान्तर्गत विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण, नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उक्त व्यवस्था के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विचारकर निर्णय लिये जाने हेतु सूचित किया गया है। प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर सिविल निर्माण संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे शमन किये जाने हेतु शमन आवेदन करना होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव (परिचालन के माध्यम से) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव संख्या-76(01), 76(02) प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

पत्रावली संख्या - लेखानुभाग/बजट/2023-24

मद संख्या 77 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

BUDGET 2023-24



BUDGET 2023-24
HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY
HARIDWAR

बजट एक दृष्टि में 2023-24

(धनराशि ₹0 लाख में)

	वास्तविक बजट 2020-21	प्रस्तावित बजट 2021-22	वास्तविक बजट 31.03.2022	प्रस्तावित बजट 2022-23	वास्तविक बजट 2022-23	प्रस्तावित बजट 2023-24	वास्तविक बजट 2023-24 31.05.2023
अ राजस्व आय							
क							
1 मानचित्र शुल्क	19.07	30.00	67.38	50.00	81.00	98.00	9.04
2 उपविभाजन शुल्क (50 प्रतिशत)	442.00	500.00	382.09	575.00	449.07	700.00	114.05
3 शमन शुल्क (25 प्रतिशत)	141.04	230.00	196.20	450.00	357.48	550.00	72.36
4 पर्यवेक्षण शुल्क	16.26	60.00	24.65	50.00	46.00	75.00	10.15
5 अन्य आय (टेम्पलर, सील, विविध)	19.57	20.00	30.29	40.00	39.56	60.00	9.83
6 विकास शुल्क (10 प्रतिशत)	38.50	94.00	52.67	100.00	98.24	125.00	24.12
7 भू उपयोग परिवर्तन शुल्क (10 प्रतिशत)	12.80	20.00	34.02	80.00	30.05	80.00	18.02
8 अम्बार शुल्क (5 प्रतिशत)	17.32	43.00	23.70	40.00	44.21	56.25	10.86
9 फ्री होल्ड शुल्क (10 प्रतिशत)	0.36	12.00	0.41	10.00	0.88	10.00	0.00
10 हरिलोक अनुरक्षण शुल्क	10.23	70.00	4.38	6.00	7.62	10.00	3.42
11 इन्द्रलोक-1 अनुरक्षण शुल्क	24.48	85.00	27.04	60.00	28.99	50.00	3.73
12 ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण शुल्क	1.49	3.00	0.00	20.00	9.61	20.00	0.00
13 हरितिमा शुल्क/पौधारोपण (10 प्रतिशत)	34.65	85.00	47.40	85.00	88.42	112.50	21.71
14 पंजीकरण पुस्तिका	0.00	4.00	0.00	4.00	1.15	4.00	0.18
15 लेबर सैस	423.16	500.00	507.13	600.00	906.42	1050.00	208.14
योग:- (क)	1200.93	1756.00	1397.36	2170.00	2188.70	3000.75	505.61
ख							
1 विनियोगों एवं खातों से प्राप्त व्याज	439.25	450.00	310.53	400.00	315.86	350.00	0.00
योग:- (ख)	439.25	450.00	310.53	400.00	315.86	350.00	0.00
कुल राजस्व आय (क+ख)	1640.18	2206.00	1707.89	2570.00	2504.56	3350.75	505.61

C.F.O.

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

	वार्षिक बजट	प्रस्तावित बजट	वार्षिक बजट	प्रस्तावित बजट	वार्षिक बजट	प्रस्तावित बजट	वार्षिक बजट	प्रस्तावित बजट	वार्षिक बजट
ब	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	2023-24
क	पूजीगत आय								31.05.2023
ग	योजनाएं (आवासीय)								
1	शिवलोक योजना	3.38	14.00	0.00	4.00	0.00	2.00	1.28	
2	हरिलोक योजना	4.90	75.00	2.60	10.00	-8.71	30.00	3.75	
3	रथमलोक योजना	0.00	20.00	2.75	10.00	5.75	10.00	0.00	
4	आश्रय योजना	4.44	10.00	3.23	5.00	1.14	15.00	0.26	
5	ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार	16.55	3000.00	0.00	4602.82	3.00	3220.00	0.00	
6	इन्दलोक योजना-1	13.43	1382.00	12.68	1524.18	127.26	1340.00	48.94	
7	इन्दलोक योजना-2	0.00	100.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
8	आसक नगर योजना ककवी	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	
9	कर्नधारियों से वसूली (भवन एवं कार फ्लॉ)	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
10	शैल्टर फन्ड ई0डब्ल्यूएस0/एल0आई0जी0	65.21	80.00	45.58	50.00	199.94	200.00	43.95	
11	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	11.71	1000.00	535.43	1000.00	55.61	2000.00	121.33	
घ	योग--(ग)	119.62	5782.00	602.27	8707.00	383.99	8117.00	219.51	
1	अवस्थापना विकास निधि	1278.07	2000.00	1683.53	2000.00	2548.56	4116.25	677.90	
2	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)/कुम्भ मेला	0.00	0.00	0.00	623.14	623.14	1000.00	0.00	
	योग--(घ)	1278.07	2000.00	1683.53	2623.14	3171.70	5116.25	677.90	
	कुल पूजीगत आय (ग+घ)	1397.69	7782.00	2285.80	11330.14	3555.69	13233.25	897.41	
	कुल आय (अ+ब)	3037.87	9988.00	3993.69	13900.14	6060.25	16584.00	1403.02	
अ	राजस्व व्यय								
क	अविधान								
1	वेतन और भत्ते	531.16	875.00	607.52	875.00	735.09	1200.00	88.89	
2	यात्रा मत्ता बिल	0.32	3.00	0.00	3.00	0.29	3.00	0.00	
3	नकदीकरण / पेंशन अंशदान	19.51	20.00	12.47	40.00	21.11	75.00	0.00	
4	धिकिस्ता प्रतिपूर्ति	0.62	10.00	0.34	10.00	0.97	10.00	0.41	
	योग--(क)	551.61	908.00	620.33	928.00	757.46	1288.00	89.30	

C.F.O.

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

	वास्तविक बजट 2020-21	प्रस्तावित बजट 2021-22	वास्तविक बजट 31.03.2022	प्रस्तावित बजट 2022-23	वास्तविक बजट 2022-23	प्रस्तावित बजट 2023-24	वास्तविक बजट 2023-24 31.05.2023
ख कार्यालय व्यय							
1 डाक	0.28	1.00	0.39	1.00	0.42	1.00	0.06
2 लेखन सामग्री	2.78	5.00	0.58	5.00	2.37	8.00	0.00
3 कार्यालय अनुरक्षण	24.29	30.00	18.97	30.00	25.48	40.00	0.52
4 अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.62	2.00	1.40	5.00	2.69	5.00	0.00
5 पुस्तकालय	0.11	2.00	0.09	1.00	0.00	1.00	0.00
6 टेलीफोन व्यय	3.27	4.00	2.97	5.00	2.53	5.00	0.53
7 कानूनी व्यय	10.12	15.00	12.73	30.00	16.66	50.00	4.55
8 अतिथि सत्कार	0.42	2.00	0.60	2.00	1.97	3.00	0.00
9 मुद्रण	1.95	3.00	0.70	3.00	0.79	5.00	0.25
10 विज्ञापन	19.98	20.00	17.66	30.00	8.09	40.00	0.75
11 विविध व्यय	8.17	11.00	6.26	10.00	9.70	25.00	2.70
12 मशीनरी अनुरक्षण	3.00	3.00	1.63	5.00	2.39	5.00	0.00
13 विद्युत अनुरक्षण	6.45	8.00	7.05	10.00	6.61	18.00	0.73
14 विवेकाधीन कोष (उपाध्यक्ष)	2.00	8.00	4.98	10.00	0.00	10.00	0.00
15 अस्थायी अग्रिम	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.38
16 कम्प्यूटर अनुरक्षण	2.42	5.00	3.97	8.00	4.69	10.00	0.41
17 अम्बार शुल्क	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
18 हरिलोक अनुरक्षण	10.49	10.00	0.74	4.00	0.00	6.00	0.00
19 इन्द्रलोक अनुरक्षण	12.38	20.00	3.98	30.00	5.50	30.00	0.00
20 ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21 आयकर/सर्विस कर आदि	0.00	400.00	0.00	600.00	-2.90	440.00	0.00
22 लेवर सैस	423.16	500.00	507.13	600.00	906.42	1050.00	0.00
योग:- (ख)	531.89	1086.00	591.83	1431.00	993.41	1802.00	10.88

C.F.O.

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

	वास्तविक बजट 2020-21	प्रस्तावित बजट 2021-22	वास्तविक बजट 31.03.2022	प्रस्तावित बजट 2022-23	वास्तविक बजट 2022-23	प्रस्तावित बजट 2023-24	वास्तविक बजट 2023-24 31.05.2023
म वाहन							
1 रखरखाव	1.62	3.00	2.21	4.00	3.73	5.75	0.16
2 पेट्रोल / डीजल	13.61	20.00	12.34	20.00	18.01	30.00	1.90
3 किराये के वाहन हेतु	33.42	40.00	15.36	42.00	36.12	55.00	5.12
योग- (ग)	48.65	63.00	29.91	66.00	57.86	90.75	7.18
घ कर्मचारी अग्रिम							
1 वाहन क्रय हेतु	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2 भवन निर्माण हेतु	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
योग- (घ)	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
ङ महायोजना	0.00	25.00	0.00	25.00	7.45	30.00	0.00
योग- (ङ)	0.00	25.00	0.00	25.00	7.45	30.00	0.00
च कम्प्यूटरीकरण (उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास हेतु)	13.75	100.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
योग- (च)	13.75	100.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)	1145.90	2206.00	1242.07	2570.00	1816.18	3350.75	107.36
ब पूंजीगत व्यय							
क संपत्ति क्रय							
1 वाहन/मशीन क्रय	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00
2 कम्प्यूटर क्रय	4.83	10.00	4.17	10.00	7.28	20.00	3.24
3 फर्नीचर/उपकरण	5.83	10.00	1.19	10.00	4.36	22.00	0.20
योग- (क)	10.66	30.00	5.36	45.00	11.64	72.00	3.44

C.F.O.

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट	प्रस्तावित बजट	वास्तविक बजट
	2020-21	2021-22	31.03.2022	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24
							31.05.2023
ख भूमि क्रय							
1 नई योजना	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1500.00	0.00
योग:- (ख)	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1500.00	0.00
ग विकास/योजनाओं में विकास कार्य							
1 हरिलोक योजना	0.00	0.00	0.00	50.00	1.74	50.00	0.00
2 परामर्श/प्रशिक्षण आदि	0.00	10.00	0.00	7.00	0.00	10.00	0.00
3 हरितिमा/पौधारोपण	84.67	85.00	80.32	85.00	81.02	112.50	11.38
4 ट्रान्स्पोर्ट नगर योजना	0.00	200.00	0.00	300.00	11.93	500.00	0.00
5 बी0एच0ई0एल0 पुर्नवास योजना	0.00	50.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00
6 इन्द्रलोक योजना-1	66.64	370.00	17.60	325.00	145.66	310.00	12.92
7 इन्द्रलोक योजना-2	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
8 आसफ नगर योजना रुड़की	0.00	220.00	0.00	150.00	0.00	600.00	0.00
9 नयी योजना	0.00	30.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
10 प्रधानमंत्री आवासीय योजना	0.00	1000.00	1000.00	3275.00	2901.52	500.00	0.00
11 विकास कार्य	19.80	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00
12 डिपोजिट कार्य	4.19	18.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
योग:- (ग)	175.30	2203.00	1120.62	4612.00	3141.87	2912.50	24.30
घ अवस्थापना विकास निधि	1677.22	4549.00	1102.90	5050.00	2178.37	7713.75	74.75
1 विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	623.14	588.70	1035.00	0.00
योग:- (घ)	1677.22	4549.00	1102.90	5673.14	2767.07	8748.75	74.75
कुल पूंजीगत व्यय (क+ख+ग+घ)	1863.18	7782.00	2228.88	11330.14	5920.58	13233.25	102.49
कुल व्यय (अ+ब)	3009.08	9988.00	3470.95	13900.14	7736.76	16584.00	209.85

C.F.O.

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 77 (04)

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित उपविधि प्रख्यापित की गयी है:-

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) (जिसे यहां आगे उक्त उपविधि कहा गया है) के अध्याय-5 के बिन्दु संख्या -5.6(III) एवं (V) पार्किंग मानक में निम्नलिखित प्राविधान अन्तः स्थापित कर दिये जायें, अर्थात् :-
(V) एकल आवासीय भवनों को छोड़ते हुए, समस्त विद्यमान गैर आवासीय (यथा ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज, तथा अन्य गैर आवासीय भवन इत्यादि) भवनों में (1500 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में) कुल स्वीकृत पार्किंग ECS Bay में से 03 प्रतिशत ECS Bay पर अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 2 Wheeler तथा 2 प्रतिशत अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 2 Wheeler Electric Vehicle Charging Infrastructure की व्यवस्था सार्वजनिक सूचना से 06 माह के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

नोट:-

(क) ECS का तात्पर्य Equivalent car Space.

(ख) 1 ECS Bay का तात्पर्य एक कार हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल जो NBC-2016 अनुसार 2.75 मी0 X 5.00 मी0 है।

(ग) 1 ECS Bay में 2-Wheeler का प्राविधान किया जा सकेगा।

2- उक्त उपविधि के अध्याय-5 के बिन्दु संख्या 5.6 (III) एवं (V) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

(vi) विद्यमान आवासीय भवनों से इसका प्राविधान किया जाना श्रेयस्कर होगा तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में Resident Welfare Association (RWA) द्वारा परियोजना की मांग अनुसार प्राविधान किया जा सकेगा।

(vii) प्रस्तावित समस्त प्रकार के नवनिर्माण, जो 1500 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित हो, में (एकल आवासीय को छोड़कर) स्वीकृत पार्किंग ECS के न्यूनतम 10 प्रतिशत ECS (Municipal corporation Towns में) एवं 05 प्रतिशत ECS (Other towns में) अथवा 1ECS जो भी अधिक हो, पर Electric Vehicle Charging Infrastructure सुविधा की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। कुल Electric Vehicle Charging Bay में 60:40 के अनुपात में 2 Wheeler तथा 4 Wheeler की चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

उदाहरणार्थ - 20 ECS स्वीकृत पार्किंग बे का 10 प्रतिशत, जो 02 ECS है का 60:40 के अनुपात में आगणन किया जाता है तो एक ECS Bay में दो 2 Wheeler तथा दूसरे ECS Bay में एक 4 Wheeler हेतु Electric Vehicle Charging सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

मद संख्या-77 (03) हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-77 (04) उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-108681 /2023 देहरादून दिनांक 23-03-2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-77 (05) उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-105911 /2023 देहरादून दिनांक 13-03-2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम-2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) में सेललुर /मोबाईल /बेसिक टेलिफोन हेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, बिन्दु सं0-7.22 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-77 (06) ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड खसरा नं0-1533 मि0 पर श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मैनपाल सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवेदन में फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 से ऑन लाईन पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में चर्चा की गई तदोपरान्त प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 से परीक्षण आख्या प्राप्त करने की दशा में भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/ Commissioner

3- उक्त उपविधि के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या -7.14 में खण्ड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-


(X) Stand Alone Public Charging Station(PCS) :-

i - पहुंच मार्ग एवं स्थल की अवस्थिति **Filling Station** हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

ii - **PCS** का भूखण्ड क्षेत्रफल न्यूनतम 100 वर्ग मी० होगा, जो टू-व्हीलर **Charging Station** हेतु सम्बन्धित कम्पनी के मानक अनुसार घटाया जा सकेगा। उक्त क्षेत्रफल में वाहन के सुचारु आवागमन एवं मुख्य मार्ग पर प्रवेश/निकास बिन्दु (**Entry/Exit Point**) तथा मार्ग के किनारे प्रतीक्षा पंक्ति (**Waiting Que**) न हो, का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

अवगत कराना है कि उपरोक्त संशोधित उपविधि को कार्यालय पत्र संख्या 1678 दिनांक 24.05.2023 द्वारा कार्यालय में तैनात एवं पंजीकृत समस्त अभियन्ता एवं मानचित्रकारों तथा समस्त सम्बन्धितों को उपविधि पर सुझाव/आपत्ति एवं मन्तव्य प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु आतिथि तक उक्त संशोधित उपविधि पर कोई सुझाव/आपत्ति एवं मन्तव्य कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 108681/2023 देहरादून दिनांक 23.03.2023 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


महेश्वरी अंशु
अभियन्ता

महेश्वरी अंशु
अभियन्ता

मद संख्या 77 (05)

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911/2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/मोबाईल/बेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, बिन्दु संख्या-7.22 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911/2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/मोबाईल/बेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, बिन्दु संख्या-7.22 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित उपविधि प्रख्यापित की गयी है:-

उत्तराखण्ड राज्य के भवन निर्माण एवं विकास (संशोधन) उपविधि/विनियम, 2023

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1 1.1 इस उपविधि/विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के भवन निर्माण एवं विकास (संशोधन) उपविधि/विनियम, 2023 है।
1.2 यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

अध्याय-7 में संशोधन 2 उत्तराखण्ड राज्य में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में अध्याय-7 में स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्त-7.22 के प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे, अर्थात्

प्रस्तर संख्या	स्तम्भ-1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
7.22 (1)(i)	सेलूलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण 1. अनुमन्यता: सेलूलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा समान्यतः पार्क, बंजर, अविकसित एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग आदि के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी, जबकि स्कूल व अस्पताल भवन/परिसर अन्तर्गत उक्त टावरों की अनुमन्यता निषिद्ध होगी एवं अन्य भू-उपयोगों में सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त अनुज्ञा देय होगी।	विलोपित

7.22 (1)(ii)	केवल उन्हीं भवनों पर टावर का निर्माण अनुमन्य होगा जिनके मानचित्र सक्षम प्राधिकारी/ प्राधिकरण से स्वीकृत हो अथवा प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रों में शमन उपरान्त अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है व भवन, जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, भी टावर के साथ सुरक्षित है।	
7.22 (1)(iii)	प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृष्टिगत टावर का निर्माण संकरी गलियों में अनुमन्य नहीं होगा। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई क्षेत्रों में 9.0 मीटर आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत यथा-पर्वतीय शिखर, विलफ टॉप आदि हेतु पहुंच मार्ग चौड़ाई व भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी। सघन निर्मित क्षेत्रों में पर्याप्त मार्ग चौड़ाई न होने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में न्यूनतम 5.0 मीटर चौड़े पहुंच मार्गों पर मोबाइल सेवा हेतु केवल Micro Cell Based Stations के उपयोग की अनुमन्यता इस आधार पर विचारणीय होगी कि अग्निशमन विभाग इ सम्बन्ध में स्पष्ट अनापत्ति प्रदान करें कि प्रश्नगत स्थल हेतु शमन वाहन के सुचारु आवागमन हेतु पर्याप्त मार्ग चौड़ाई उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा 5.0 मीटर से कम पहुंच मार्ग होने पर प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर शिथिलता विचारणीय होगी।	विलोपित
7.22 (1)(iv)	भूखण्ड का क्षेत्रफल-इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित स्थल के भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तथा भवन की छत पर निर्माण होने पर छत का क्षेत्रफल भी न्यूनतम 50 वर्गमीटर आवश्यक है।	विलोपित
7.22 (1)(v)	भू आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 एक्सचेंड नोड स्थल व अनुशांगिक भवनों के निर्माण हेतु भवन का अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.0 अनुमन्य होगा।	विलोपित
7.22 (1)(vi)	केवर एन्टीना टावर को एफ0ए0आर0 व0 तत्गणित ऊंचाई से मुक्त रखा जायेगा।	विलोपित
7.22 (1)(vii)	सेट बैक-टावर का सेटबैक संलग्नक (अ) अनुसार होगा। हाई, मीडिएम एंव लो टेंसन विद्युत लाईन से टावर की न्यूनतम दूरी एन0बी0सी0 में निर्धारित विद्युत लाईन से दूरी के बराबर आवश्यक होगा।	विलोपित

7.22 (2)(i)	<p>निर्माण अनुज्ञा हेतु अपेक्षाएँ:- सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं सम्बन्धी मानकों का उल्लंघन न होने पर सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:-निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो इक्विपमेंट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिए ही उपलब्ध होगी। जेनरेटर केवल साईलेन्ट प्रकृति के होंगे तथा भूतल अथवा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर ही लगाये जायेंगे।</p>	विलोपित
7.22 (2)(ii)	<p>सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व "काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर" में पंजीकृत आर्कीटेक्ट एवं अधिकृत "स्ट्रक्चरल इंजीनियर" द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो, तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अतिरिक्त आई0आई0टी0 तथा रजकीय संस्थानों यथा एन0आई0टी0, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।</p>	विलोपित
7.22 (2)(iii)	<p>यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग छत से न्यूनतम 3.0 मी0 की ऊंचाई पर होना आवश्यक है। साथ ही इस सम्बन्ध में Wind load तथा seismic load के सम्बन्ध में टावर तथा भवन के स्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।</p>	विलोपित
7.22 (2)(iv)	<p>जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p>	विलोपित

7.22 (2)(v)	उन प्रकरणों में जहाँ पर टावर संचालन हेतु लगे डीजल जेनरेटर की क्षमता 25 के0वी0ए0 से अनधिक है एवं उक्त जेनरेटर आटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रमाणित हो एवं उक्त जेनरेटर साइलेन्ट श्रेणी का हो, ऐसे प्रकरणों में प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।	विलोपित
7.22 (2)(vi)	टावर के निर्माण से पूर्व SACFA (standing Advisory Committee on Frequency Allocation) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।	विलोपित
7.22 (2)(vii)	सेवा आपरेटर कम्पनी से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आसपास के भवन एवं जानमाल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी का होगा।	विलोपित
7.22 (2)(viii)	आवेदन के साथ Dot विभाग के Term Cell तथा निर्गत acknowledge receipt भी प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी— acknowledge receipt issued by TERM (Dot) of the self certificate submitted by Telecom Service Provider in respect of Mobile of respect of Mobile Tower/BTS (ground based/roof top/wall mounted) in the format as prescribed by TEC, Dot establishing/ certifying that the all genral public areas around the tower will be within safe EMR expousure limit. The operator shall get the Technical Audit done by TERM cell annually and shall submit the same with the sanctioning authority at the time of renewal of the permission for mobile tower.	विलोपित
7.22 (2)(ix)	निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अनुज्ञा फीस के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फण्ड एवं विनियमित क्षेत्र में विकास शुल्क मद में जमा की जायेगी। प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में उक्त शुल्क शासन के निर्धारित मद में जमा किया जायेगा। यह अनुज्ञा 05 वर्ष हेतु होगी तथा उक्त अवधि पूर्ण होने के कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा फीस का 25 प्रतिशत अथवा रू. 2500/- जो भी अधिक हो, देय होगा।	विलोपित

क्र०सं०	क्षेत्र	अनुज्ञा फीस(रु०में)
1.	विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र/ विशेष विकास प्राधिकरण	50,000/-
2	उक्त क्षेत्र के बाहर के नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत	25,000/-
3	अन्य मैदानी क्षेत्र में	10,000/-
4	अन्य पर्वतीय क्षेत्र में	5,000/-

टिप्पणी:-

1- जिन विभाग/कम्पनी/सेवादाता द्वारा अन्य कम्पनी/सेवादाता से अपेक्षाकृत अति अत्याधुनिक तकनीक के मोबाइल टावर एन्टीना लगाये जायेंगे, ऐसी मोबाइल टावर कम्पनियों को राजकीय/स्वायत्तशासी/निगमों के कार्यालय भवनों एवं उसके परिसर अन्तर्गत उपलब्ध भूमि पर टावर निर्माण का उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया शुल्क लेकर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में प्रोत्साहन के रूप में अनुज्ञा शुल्क में भी 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
2- मोबाइल टावर की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व मोबाइल टावर कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

विलोपित

7.22 (3)(i)	अन्य अपेक्षाएं- निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रस्ताव-2(ix)के अतिरिक्त विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।	विलोपित
7.22 (3)(ii)	शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक के फोटो सहित नोटरी से सत्यापित होगा।	विलोपित
7.22 (3)(iii)	आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन पत्र की एक छायाप्रति जिलाधिकारी एवं एक छायाप्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना के रूप में प्रेषित करनी होगी।	विलोपित
7.22 (3)(iv)	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेबस, बायब्रेशन ध्वनि प्रदूषण, आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।	विलोपित

7.22 (3)(v)	Ground Based टावर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के लिये समुचित उपाय यथा चार दिवारी, कटीले तारबाड़ जो न्यूनतम 10 फिट ऊँची हो, का ताले की व्यवस्था सहित प्रावधान अनिवार्य रूप से करना होगा।	विलोपित
7.22 (3)(vi)	Roof Top टावर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने हेतु भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजे पर ताला, आदि का प्रावधान अनिवार्य रूप से करना होगा।	विलोपित
7.22 (3)(vii)	टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर चेतावनी सूचना साइन बोर्ड लागाना अनिवार्य होगा जिसमें खतरा, आर0एफ0 विकिरण, प्रवेश वर्जित, लिखा होगा।	विलोपित
7.22 (3)(viii)	प्रदाता कम्पनी को आवेदन पत्र के साथ भवन/भू-खण्ड स्वामी के किये गये पंजीकरण अनुबन्ध की मूल प्रति स्टाम्प शुल्क सहित उपलब्ध करवानी होगी।	विलोपित
7.22 (3)(ix)	समय – समय पर TRAI (Telecom) Regulatory Authority of India एवं ARA(Automobile Research Association of India) Ministry of Commerce of India द्वारा जारी दिशा-निर्देशों आवश्यक होगा।	विलोपित
7.22 (3)(x)	Dot के Term Cell द्वारा संलग्नक (अ) अनुसार अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए audit किया जाना आवश्यक है।	विलोपित
7.22 (4)(i)	शमन एवं विनियमितीकरण- (i) ऐसे सभी टावर जो कि प्रस्तावित नीति के प्रवर्तन से पूर्व में लगे हैं और विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त है और जिनके सम्बन्ध में या तो अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया गया था। अथवा तददिनांक को प्रवृत्त नीति के अनुसार अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया गया था, ऐसे समस्त प्रकरणों में विनियमितीकरण विशेष प्रकरण के रूप में किया जायेगा जिस हेतु एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रस्तर - 2 (ix) के अनुसार शुल्क देय होगा।	विलोपित


7.22 (4)(ii)	<p>पूर्व में स्थापित टावरों के सम्बन्ध में जहां पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करते समय यद्यपि टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा अनुज्ञा शुल्क तदप्रवृत्त नीति के अनुसार जमा किया गया था परन्तु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के द्वारा औपचारिक रूप से आपत्ति की गयी थी, जैसे कि साईट प्लान की वैधता, स्वीकृत मानचित्र (बिल्डिंग की छतों पर लगे टावरों के सम्बन्ध में भू-स्वामी से किये गये करार की छायाप्रति सम्बन्धित आवेदन के साथ न लगाया जाना, ऐसे समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित कंपनियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष शमन एवं विनियमितीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा एवं उक्त आवेदन की तिथि से विलम्बतम 30 दिवसों में उक्त शमन/विनियमितीकरण सम्बन्धित प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धि त प्राधिकरण को देय नहीं होगा।</p>	विलोपित
7.22 (4)(iii)	<p>ऐसे भवन, जिनकी छत पर टावर स्थित है, और यदि उन भवनों का मानचित्र विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किया गया है अथवा स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण में जमा है, में सेल्यूलर मोबाइल टावरों की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र की बाध्यता शिथिल की जायेगी।</p>	विलोपित
7.22 (4)(iv)	<p>ऐसे प्रकरणों, जिनमें टावर की स्थापना कर दी गयी है किन्तु बिल्डिंग मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अनम अनुज्ञा एवं शमन हेतु भवन मानचित्र सम्बन्धित प्राधिकरण में जमा किया जायेगा और भवन के शमन योग्य होने पर ही क्षेत्रीय प्राधिकारी / विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र द्वारा 30 दिन में भीतर आवेदन का निस्तारण किया जायेगा और यदि आवेदन का निस्तारण 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो 30 दिनों के उपरान्त प्रकरण में स्वतः deemed स्वीकृति मानी जायेगी तथा निर्धारित शुल्क सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जमा कराया जायेगा।</p>	विलोपित
7.22 (4)(v)	<p>शमन/विनियमितीकरण योग्य न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।</p>	विलोपित

7.22 (4)(vi)	राज्य के शेष ऐसे क्षेत्र जो किसी विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र से बाहर हैं, में उक्त कार्य राज्य आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किए जायेंगे।	विलोपित
7.22 (5)	<p>रेडिएशन सम्बन्धित प्रकरण- यदि किसी मोबाइल टावर पर रेडिएशन एवं अन्य किसी प्रकरण की शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत को भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ संस्था TERM cell BSNL जो कि वर्तमान में 197, राजपुर रोड, देहरादून में स्थित है, को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में हैं। जहाँ किसी प्रकार के शान्ति व्यवस्था संबंधी समस्या हो, वहाँ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से निर्णय लेंगे।</p> <p>उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में कोई भी मोबाइल टावर किसी भी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा रेडिएशन के आधार पर सील नहीं किया जायेगा जब तक TERM Cell द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत न कर दी गयी हो।</p> <p>*प्रस्तर 7.22 शासनादेश संख्या 1634 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 द्वारा संशोधित।</p>	विलोपित
7.22	-	<p>(i) भवनों के ऊपर तथा रिक्त भूखण्ड पर मोबाइल टावर/पोल की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा Single Window Clearance (SWCS)/GatiShakti Sanchar के पोर्टल पर आवेदन के साथ वांछित अभिलेखों में निम्नलिखित अभिलेख एवं रु. 10,000 प्रोसेसिंग शुल्क जमा किये जायेंगे:-</p> <p>(क) भवन का स्वीकृत /शमनित मानचित्र।</p> <p>(ख) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि प्रस्तावित टॉवर/पोल एवं भवन का स्ट्रक्चर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है (जिसमें Wind load तथा seismic load का पूर्णतः संज्ञान लिया गया है)।</p>
7.22	-	<p>(ii) Single Window Clearance (SWCS)/GatiShakti Sanchar Portal के माध्यम से उक्त वर्णित अभिलेख एवं प्रोसेसिंग शुल्क, सम्बन्धित प्राधिकरण के पोर्टल पर अग्रसारित की जाएगी।</p>

		(iii) उक्त सूचना प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर यदि सम्बन्धित प्राधिकरण को भवन के स्वीकृत मानचित्र की प्रमाणिकता अथवा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पंजीकरण तथा उसके द्वारा प्रदत्त Structural Safety Certificate के सम्बन्ध में कोई आपत्ति होती है, तो ऐसी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सात (07) कार्य दिवस की अवधि में पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सात (07) कार्य दिवस उपरान्त दर्ज की गयी आपत्ति निराधार मानी जाएगी तथा तत्पश्चात उक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्राधिकरण का होगा।
		(iv) जहां राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, वहां पर अनापत्ति प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का स्वयं होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
		(v) नव निर्माण से सम्बन्धित भवन के प्रस्तावित मानचित्र में Digital Communication Infrastructure हेतु Provision for In_Building Solution के मानक (Appendix_1) पूर्ण करने का उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा।
		(vi) नव निर्मित भवनों के Completion Certificate निर्गत करते हुए Architect/Engineer द्वारा Completion Report में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार Telecome Infrastructure की स्थापना यथा स्थिति की गयी है, का प्रमाण उल्लिखित किया गया जाएगा।
		(vii) मोबाईल टावर/पोल तथा Telecome Infrastructure से सम्बन्धित कोई भी शिकायत का निवारण Row Policy (समय-समय पर यथा संशोधित) अंतर्गत उल्लिखित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा।

नोट:- सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है।

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911/2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 105911/2023 देहरादून दिनांक 13.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में सेलुलर/मोबाईल/बेसिक टेलिफोनहेतु टावर निर्माण से सम्बन्धित प्राविधानों, विन्दु संख्या-7.22 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधित उपविधि में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


 माचनन्य खेरी
 अधिकारी अधिकृत


07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.00 मीटर)
07	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	80 वर्ग मीटर
08	अन्य विवरण	-	-

प्रस्तुत आवेदन के कम में स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के उपरान्त ही अनुमन्य है। तकनीकी जाँच की गयी। जाँचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, समस्त सेंटबैक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित हैं।

उपरोक्तानुसार प्रकरण ग्राम अन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर पी0डब्लू0डी0 रोड सडक 13.60 मी0 मार्ग पर स्थित व भू उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में आवासीय (आर-2) होने के कारण फिलिंग स्टेशन के निर्माण की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार आवासीय (आर-2) है।

महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या 10.3.1 के अनुसार प्राधिकरण को मात्र कमर्शियल फिलिंग स्टेशन की स्थापना प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण सभा के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


अनिलकुमार जोशी
 जम्हाती अभियन्ता

मद संख्या 77 (07)

ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं० 806/2 व 807/1/3 पर शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टनर श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल ग्राम रानीपुर में आवासीय भू उपयोग के अन्तर्गत होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टनर श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व० श्री शिव नारायण गोयल द्वारा दिये गये आवेदन के सम्बन्ध में अवलोकन करना चाहे उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल हरिद्वार रुडकी रोड 50 मीटर पर स्थित है। प्रशान्त स्थल का पूर्व संख्या नो०/बहा०/26/2019-20 में भूखण्ड ऐरिया 1398.90 वर्ग मीटर पर होटल मानचित्र IHC INFRA BUILD PVT LTD- डायरेक्टर भी राजीव कुमार बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल के द्वारा ग्राम रानीपुर हरिद्वार के खसरा संख्या-807/1/3 परगना जालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में स्वीकृत कराया गया व स्थल पर निर्माण बेसमेन्ट+4 का भवन का निर्मित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त निर्मित भवन को विक्रेय कर अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्र 4100 वर्ग मी० क्षेत्रफल सम्मिलित कर कुल क्षेत्रफल 5480 वर्गमी० में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 4100 वर्ग मी० है जो कि खसरा नं० 806 /2 ग्राम रानीपुर में स्थित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में आवासीय (आर-2) के अन्तर्गत एवं महायोजना मार्ग 50 मीटर पर स्थित है। महायोजना के अध्याय- 10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय भू उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल निर्माण अनुमत्य हैं। 1500 वर्ग मीटर से अधिक, भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी समा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमत्य किया जा सकता है। उक्त के क्रम में मानचित्र की तकनीकी आख्या निम्नवत है-


क्र०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्र	500वर्गमीटर	
02	पहुंचमार्ग	18मीटर	5480.00 वर्गमीटर
03	सेटबैक		50.00 मीटर
	फ्रन्टसेटबैक	12.00 मीटर	
	रियरसेटबैक	6.00 मीटर	12.00 मीटर
	साईडसेट बैक-1	6.00मीटर	7.00 मीटर
	साईडसेट बैक-2	6.00मीटर	7.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	50.00 प्रतिशत	7.00 मीटर
			26.80 %


मद संख्या-77 (07) ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के मूखण्ड खसरा नं0-806/2 व 807/1/3 पर शिवालिक ट्रेडिंग कम्पनी पार्टनर श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल ग्राम रानीपुर में आवासीय मू-उपयोग के अन्तर्गत होटल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 से ऑन लाईन चर्चा की गई तदोपरान्त प्रकरण को भवन-उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-77 (08) ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के मूखण्ड क्षेत्रफल 925.00 वर्ग मीटर खसरा नं0-709 मि0 व 710/3 मि0 पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश व श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल आदि द्वारा सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक मू-उपयोग व 60 मी0 महायोजना मार्ग पर होटल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत परीक्षण करते हुए भवन उपविधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-77 (09) मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर द्वारा पार्टनर सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी-आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं0-873, 872 मि0, 859 मि0, ग्राम-अहमदपुर कडछ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

(33)

05	एफ0ए0आर0	3.0	0.646
06	भवन की ऊँचाई	21.00 मीटर	21.00 मी0
	तलों की संख्या	Basement + G.F+6	Basement + G.F+5
07	पार्किंग	29.40 ई0सी0एस0	56.94 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	—	—

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया। आवेदक द्वारा बेसमेंट +भूतल+प्रथम तल+ द्वितीय तल व तृतीय तल का निर्माण किया गया है। बेसमेंट में पार्किंग, भूतल में रिसेप्शन व रेस्टोरेन्ट, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल पर 33 कमरे बने हुए हैं। आवेदक द्वारा चतुर्थ व पंचम तल पर 22 कमरे की प्रस्तावना दी गयी है। कुल (G.F+5) तलों में 55 कमरे दिये गये हैं। बेसमेंट में पार्किंग व नये सम्मिलित भूखण्ड पर बैंकेट हाल की प्रस्तावना दी गयी है।

प्रस्ताव होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के उपरान्त ही अनुमनय है। तकनीकी जाँच की गयी। जॉचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एक समस्त सेट बैंक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में स्थल को जाने वाले मुख्य मार्ग एनएच 334 पर स्थित होने के कारण होटल निर्माण की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में आवासीय (आर-2) एवं महायोजना मार्ग 50 मी0 पर स्थित है। महायोजना के अध्याय- 10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय भू उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में उपाध्यक्ष स्तर से होटल निर्माण अनुमन्य है। 1500 वर्ग मीटर से अधिक, भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त ही होटल का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


 दिनेश्वर शर्मा
 जिलाधिकारी, हरिद्वार

मद संख्या 77 (08)

ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं० 709 मि० व 710/03 मि० पर श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश व श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल आदि द्वारा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग व 60 मी० महायोजना मार्ग पर होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश व श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री अरविन्द अग्रवाल व श्रीमती पूनम गर्ग पत्नी श्री प्रदीप कुमार द्वारा HRDA/NC/0041/23-24 में आवेदन के सम्बन्ध में अवलोकन करना चाहै। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल भूमि का खसरा नं० 709 मि० व 710/03 मि० क्षेत्रफल 1793 वर्ग मीटर स्थित ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार हरिद्वार रुड़की रोड 60 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। पश्चिम स्थल कुल भूखण्ड एरिया विक्रय पत्र के अनुसार अनुसार 1793.00 वर्ग मीटर एवं होटल हेतु कुल भूखण्ड एरिया 925 वर्ग मी० प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है, व 60 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। महायोजना के अध्याय 10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.34 सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग में होटल प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है। तकनीकी आख्या निम्नवत् है:-

क्र०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500वर्गमीटर	925वर्गमीटर
02	पहुंचमार्ग	18 मीटर	60मीटर
03	सेटबैक		
	फ्रन्टसेटबैक	8.00 मीटर	8.00 मीटर
	रियरसेटबैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईडसेट बैक-1	4.00 मीटर	4.00 मीटर
	साईडसेट बैक-2	1.50 मीटर	1.50 मीटर
04	भू-आच्छादन	50.00 प्रतिशत	49.68 प्रतिशत
05	एफ०ए०आर०	1.80	1.16
06	भवन की ऊँचाई	21.00 मीटर	12मीटर

	तलों की संख्या	जी+7	जी+ 4
07	पार्किंग	17.54 ई०सी०एस०	18.48 ई०सी०एस०
08	अन्य विवरण	-	-

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया स्थल पर आवेदक द्वारा टिन शेड हॉल निर्मित निर्माण को तोड़ते हुए व होटल का नव निर्माण का प्रस्तुत प्रस्ताव दिया है। आवेदक द्वारा 30 कमरे प्रथम से तृतीय चल में प्रस्ताव दिया गया है। स्टिल्ट में पार्किंग व प्रथम फ्लोर हॉल का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्ताव होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के उपरान्त ही अनुमन्य है। तकनीकी जाँच की गयी। जांचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ०ए०आर०, समस्त सेट बैक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित है।

सी०टी०पी० की आख्या अनुसार "होटल भवन हेतु प्रस्तावित खसरा न० 710/3, 709 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 1792.04 वर्गमी० है। जबकि प्रस्तुत मानचित्र अन्तर्गत होटल भवन मात्र क्षेत्रफल 900.91 वर्गमी० में ग्राम-रानीपुर, परगना, ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा कि आवेदक द्वारा उक्त मानचित्र मात्र 900.91 वर्ग मी० हेतु प्रस्तावित है।

2. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये NTS की-प्लान वर्णित अनुसार प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार भू-उपयोग 60.0मी० मार्गाधिकार के पश्चात् सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक है। हरिद्वार महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग अन्तर्गत होटल व रेस्टोरेन्ट प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।" उपरोक्तानुसार प्रकरण हरिद्वार मुख्य मार्ग एन०एच०-334 पर स्थित होने के कारण होटल की निर्माण की सार्थकता दृष्टि गोचर होती है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है, व 60 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। महायोजना के अध्याय 10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.34 के अनुसार सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग में होटल प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

६.६.
नियंत्रक प्राधिकारी
नियंत्रक प्राधिकारी

मद संख्या 77 (09)

मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर :-सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी:-आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, ग्राम-अहमदपुर कड़छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार में व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक मैसर्स जगत एन्टरप्राइजेज ज्वालापुर, द्वारा पार्टनर :-सरदार इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार जगत सिंह निवासी:-आर्यनगर ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या HRDA/NC/0209/22-23के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 873, 872मि०, 859मि०, स्थित ग्राम-अहमदपुर कड़छ, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल विक्रय पत्रों के अनुसार 2652.42 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2536.47 वर्गमीटर है। जिसपर केवल व्यवसायिक निर्माण का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में व्यवसायिक C के अन्तर्गत आता है। प्रस्तुत प्रस्ताव कुल भूखण्ड क्षेत्रफल विक्रय पत्रों के अनुसार 2652.42 वर्गमीटर एवमं स्थलानुसार कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2536.47 वर्गमीटर पर है। स्थल पर पुराने अशोका टाकिज की बिल्डींग जर्जर हालत में स्थित है, जिसको मानचित्र में तोडा जाना दर्शाया गया है। तोडे जाने हेतु तत्कालीन सचिव उत्तराखण्ड शासन ने पत्रांक संख्या 250/XXVII(9)/2011/मनो०कर०-29/2010 दिनांक 26.09.2011 को अनुमति प्रदान की हुई है, अनुमति में यह कही भी वर्णीत नही है कि पुराने सिनेमा घर को टोडकर मिनी सिनेमाहॉल बनाना होगा। प्रार्थी के द्वारा शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो.कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थी व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स/मल्टीप्लैक्स दोनों में से कोई भी बनाने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है। परन्तु भवन निर्माण एवमं विकास उपविधि उत्तराखण्ड के पृष्ठ संख्या 79 के क्रम संख्या 7.10 में प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोडकर मिनी सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मानको का निर्धारण किया गया है।

तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.05.2023 को Online मानचित्र पत्रावली में सी०टी०सी०पी० की निम्न बिन्दुओं पर राय चाही गयी।

01. शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो.कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 उक्त में यदि कोई सिनेमा स्वामी/ लाईसेन्सी छविग्रह को तोडकर उसके स्थान पर व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स / मल्टीप्लेक्स या अन्य निर्माण करना चाहता है तो महायोजना व अन्य उपविधियों/विनियमों /नियमों के आधार पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र के द्वारा परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा। और इस सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रमाणित जर्जी
अधिकारी

02. वर्तमान लागू भवन निर्माण एवम विकास उपविधि के पैरा न0 7.1 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मिनी सिनेमा हॉल सहित व्यवसायिक काम्पलवेस के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है—

(i) प्रयोज्यता : यह प्रावधान केवल पुराने सिनेमाघरों के भूखण्ड की सीमा अन्तर्गत प्रभावी होंगे। अर्थात् किसी भी नव प्रस्ताव या नये क्षेत्र में यह प्रावधान अनुमन्य नहीं होंगे। विद्यमान छविगृह को तोड़कर उपलब्ध भूखण्डों पर केवल मिनी छविगृह एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति होगी। इस भूखण्ड पर होटल/ लॉजेंज का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

उपरोक्त बिन्दु-01 में छविग्रहों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स/मल्टिप्लैक्स या अन्य निर्माण को स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उक्त पैरा में मिनी छविग्रह एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति को स्पष्ट किया गया है।

कृपया आवेदक द्वारा वर्तमान में व्यावसायिक भवन के निर्माण किये जाने हेतु भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। शासनादेश संख्या 91/XXVII(5)/मनो.कर/2005 दिनांक 06 मई 2005 के अनुसार अनुमति देय है तथा लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उक्त पैरा में मिनी छविग्रह एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति देय है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मानचित्र में छविग्रह की प्रस्तावना नहीं है। उक्त दोनों बिन्दुओं के क्रम में आवेदक द्वारा मात्र व्यवसायिक भवन के निर्माण किये जाने हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति पर उचित मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहें।

सी0टी0सी0पी0 द्वारा दिनांक 09.06.2023 को अपनी ऑनलाईन आख्या क्र संख्या 01, व 03 भूस्वामित्व एवं तकनीकी आवश्यकता से सम्बन्धित है। जिसके अनुसार मानचित्र सही प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त क्र संख्या 02, 04 में उल्लिखित किया गया है कि:-

02. वर्तमान लागू भवन निर्माण एवम विकास उपविधि के पैरा न0 7.1 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मिनी सिनेमा हॉल सहित व्यवसायिक काम्पलवेस के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निम्न मानकों का निर्धारण किया जाता है— प्रयोज्यता : यह प्रावधान केवल पुराने सिनेमाघरों के भूखण्ड की सीमा अन्तर्गत प्रभावी होंगे। अर्थात् किसी भी नव प्रस्ताव या नये क्षेत्र में यह प्रावधान अनुमन्य नहीं होंगे। विद्यमान छविगृह को तोड़कर उपलब्ध भूखण्डों पर केवल मिनी छविगृह एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति होगी। इस भूखण्ड पर होटल/ लॉजेंज का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

04. अतः उपरोक्त आख्या के क्रम में सम्बन्धित शासनादेशों के आलोक में प्रकरण को बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जाना उचित होगा।

सुनील जोशी
असिस्टेंट कमिश्नर

मद संख्या 77 (10)

ग्राम रूहालकी किशनपुर बहादुराबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार, खसरा नं० 208 मि० 9856.22 वर्ग मीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री अनिल गोयल पुत्र स्व० श्री शिवनारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाड़ा, नाहिद कुरेशी पुत्र श्री नसीम अख्तर द्वारा भूमि खसरा नं० 208 मि० 9856.22 वर्ग मी० भूमि का भू-परिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय में करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 20.05.2023 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं० 208 मि० 9856.22 वर्ग मीटर कृषि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जांच प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा की गयी।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 19.06.2023 के अनुसार, "आवेदक श्री अनिल गोयल पुत्र स्व० श्री शिवनारायण गोयल व नाहिद कुरेशी पुत्र श्री नसीम अख्तर द्वारा भूमि खसरा नं० 208 मि० 9856.22 वर्ग मी० भूमि का भू-परिवर्तन आवासीय में करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगणों के नाम राजस्व अभिलेखों में खसरा नं० 208 क्षेत्रफल 1.5590 हेक्टेयर बतौर संकमणीय भूमि दर के रूप में ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर हरिद्वार में स्थित है। प्रस्तावित आवेदन खसरा नं० 208 मि०/9856.22 वर्ग मी० कृषि भूमि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।"

मानचित्रकार की आख्या दिनांक 19.06.2023 के अनुसार "आवेदक द्वारा दिये गये की-प्लान, महायोजना इन्डेक्स प्लान के अनुसार स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या 1651/वी०-2/21/11 (एलू०यू०सी०) 2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या-1311/वी-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु संख्या-1.1 के अनुसार, 4000 से 10000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा।"

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर लगभग 09 मी० से अधिक चौड़ी सड़क विद्यमान है। आस-पास आवासीय भवन निर्मित हैं। स्थल के समीप उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। स्थल से 50 मी० की दूरी पर घनी आबादी का गांव स्थित है।


अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त किये जाने के साथ-साथ प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


माध्वानन्द जोशी
तहसील कृषिपाल

मद संख्या-77 (10) ग्राम रूहालकी किशनपुर बहादुराबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं०-208 मि० व 9856.22 वर्ग मी० का. कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से ऑन लाईन चर्चा की गई, सी०टी०सी०पी० द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश के अनुसार अपरिहार्य परिस्थिति में बोर्ड भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम है। प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रकरण के अपरिहार्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त प्रकरण में कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भवन उपविधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-77 (11) राजस्व ग्राम अहमदपुर खसरा नं०-2 म, 1 म, रकबा 9540 वर्गमीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से ऑन लाईन चर्चा की गई, सी०टी०सी०पी० द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश के अनुसार अपरिहार्य परिस्थिति में बोर्ड भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम है। प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रकरण के अपरिहार्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त प्रकरण में कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भवन उपविधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-77 (12) ग्राम सराय तहसील व जिला हरिद्वार के खाता सं०-27, खसरा नं०-217 रकबई 0.4920 हैक्टेयर में से 0.4050 हैक्टेयर कृषि भूमि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या 77 (11)

राजस्व ग्राम अहमदपुर, खसरा नं० 2 म, 1म, रकबा-9540 वर्गमीटर का कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री चन्द्रमोहन द्वारा दून हैचरिच लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी स्ट्रेटजी आफिसर्स, श्री अरुण अग्रवाल पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल, निवासी हैड आफिस बी-48ए, ग्राउण्ड फ्लोर मेनरोड, कालकाजी नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2023 को दर्ज किया गया है जो सचिव हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार को सम्बोधित है का अवलोकन करना चाहे। उक्त पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल खसरा नं०-2म, 1म, रकबा 9540 वर्गमीटर कृषि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्रारंभिक जांच की गयी। मानचित्रकार की आख्या दिनांक 09.06.2023 के अनुसार, स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।

प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्या दिनांक 14/06/2023 के अनुसार स्थल का भू-उपयोग कृषि के अन्तर्गत आता है।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 09.06.2023 के अनुसार, आवेदक श्रीचन्द्रमोहन दून हैचरिच लि० द्वारा विक्रय पत्र संख्या-5186, 8179, 8045 व 6842 के द्वारा कय की गयी भूमि खसरा नम्बर 1म, 2म में से 0.9632 है०/9632 वर्गमीटर कृषि भूमि कय की गयी है। आवेदक प्रस्तावित भूमि में बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में विक्रय पत्रों एवं उद्धरण खतौनी के आधार पर भू-स्वामित्व की पुष्टि होती है। शासनादेश संख्या 1651/वी०-2/21/11(एल०यू०सी०)2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमत्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या-1311/वी-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक 26.07.2021 के विन्दु संख्या-1.1 के अनुसार, 4000 से 10000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया आवेदक द्वारा पूर्व से ही प्लाटिंग की गयी है। उक्त स्थल से लगते हुए ग्राम शान्तरशाह तहसील रूडकी के खसरा नं० 556 493 495 खसरा नं० के खाता नं० 2, 235 154 मौजा शान्तरशाह परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार में मानचित्र स्वीकृत मान सं० ले-आउट 06/2018-19 दिनांक 01/02/2022 में स्वीकृत हुआ है। प्रश्नगत स्थल हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत आता है। जिसके कारण आवेदक प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग परिवर्तित कराने हेतु इच्छुक हैं। स्थल के लिए पहुंच मार्ग 15 मी० व आन्तरिक मार्ग 09 मी० विद्यमान है। स्थल के समीप आवासीय कालोनियां भी हैं। जिस कारण यह प्रकरण अपरिहार्य दशा में आता है जिसका भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा तथा प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या का अवलोकन करते हुए सहमति की दशा में प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 77 (12)

ग्राम सराय तहसील व जिला-हरिद्वार के खाता सं0-27, खसरा नम्बर 217 रकबई 0.4920 हैक्टेयर में से 0.4050 हैक्टेयर कृषि भूमि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री रजत मोहन पुत्र श्री अवध विहारी दास व श्रीमति सोनिया पत्नी श्री रजत मोहन निवासी म0नं0-784, टप्पीयन, स्ट्रीट, निकट भिक्की मोड़ नामा, पटियाला पंजाब के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 19.12.2022 को कार्यालय को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सराय तहसील व जिला-हरिद्वार के खाता सं0-27, खसरा नम्बर 217 रकबई 0.4920 हैक्टेयर कृषि भूमि से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जांच मानचित्रकार की आख्या दिनांक 03.01.2023 के अनुसार, स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। उक्त स्थल वर्तमान में कार्यालय द्वारा वाद संख्या HRDA/UCMS/L/0064/2022 योजित है तथा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 16.06.2023 के अनुसार, आवेदक श्री रजत मोहन पुत्र श्री अवध विहारीदास व श्रीमति सोनिया पत्नी रजत मोहन द्वारा भूमि खसरा नम्बर 217 क्षेत्रफल 0.4920 है0 स्थित ग्राम सराय परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार में से 0.4050 है0 भूमि को कृषि से आवासीय में परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि संकमणीय अधिकार की भूमि है। शासनादेश संख्या 1651/वी0-2/21/11(एलू0यू0सी0) 2003 दिनांक 06/10/2021 के अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या-1311/वी-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु संख्या-1.1 के अनुसार, 4000 से 10000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा। प्रश्नगत स्थल के लिए पहुंच मार्ग लगभग 09 मी0 विद्यमान है। आंतरिक सड़कें लगभग 6.1 मी0 उपलब्ध हैं। बिजली तथा पानी की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। स्थल के आस-पास आवासीय भवन निर्मित हैं। जिस कारण यह प्रकरण अपरिहार्य की दशा में आता है।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा तथा प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


अनिल कुमार जोशी
अतिरिक्त अभियन्ता


मद संख्या 77 (13)

प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत गुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण द्वारा विकसित इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत गुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी, जिसमें 96 भवन 2बी0एच0के0 तथा 48 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कराया गया। बोर्ड बैठक दिनांक 07-9-2021 के प्रस्ताव सं0 72(06) में 2बी0एच0के0 भवनों हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य रू0 48.00 लाख तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों का विक्रय मूल्य रू0 7.00 लाख रुपये को अनुमोदित करते हुए इन दरों को मार्च, 2023 तक यथावत रखा गया। तदनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तथा दिनांक 13.02.2023 से 11.04.2023 तक पंजीकरण खोले गये। इससे पूर्व भी योजना में निर्मित भवनों के विक्रय हेतु योजना में पंजीकरण खोले गये थे, किन्तु बार-बार पंजीकरण खोले जाने के बाद भी निर्मित भवनों के विक्रय में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी। 84 भवन 2बी0एच0के0 के तथा 28 भवन दुर्बल आय वर्ग के आवंटन से रिक्त हैं।

चूंकि प्राधिकरण द्वारा भवनों के विक्रय हेतु बार-बार पंजीकरण खोले जाने के बाद भी भवनों का विक्रय नहीं हो पाया है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 72(06) में अनुमोदित विक्रय मूल्य (2बी0एच0के0 भवन हेतु 48.00 लाख तथा ई0डब्लू0एस0 भवन हेतु रू0. 7.00 लाख) को आगामी मार्च 2025 तक फ्रीज करते हुए पहले आओं पहले पाओ के आधार पर मार्च 2025 तक पंजीकरण खोला जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

तदनुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


आवासीय अधिकारी

मद संख्या-77 (13)

प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत युप हाउसिंग में निर्मित भवनों के विक्रय /आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त 03 माह हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण खोले जाने एवं पुनः भवनों की लागत का परीक्षण किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-77 (14)

टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त सी0टी0सी0पी0 की आख्या टी0एच0डी0सी0 से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।


मद संख्या-77 (15)

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास परिषद में आवासीय भूखण्डों पर निर्मित व्यावसायिक भवनों के नियमितकरण सम्बन्ध प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त प्रकरण आवास विकास परिषद उत्तराखण्ड देहरादून को विस्तृत रिपोर्ट सहित सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-77 (16)

हरिद्वार महायोजना-2025 की विसंगतियों सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तदोपरान्त सी0टी0सी0पी0 को अमृत महायोजना-2041 में विसंगतियों को दूर किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 77 (14)

टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित एवं निर्मित कालोनियों के नियमितकरण के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि हरिद्वार विकास क्षेत्र में टिहरी विस्थापन हेतु अनेक योजनाएं विद्यमान हैं। उक्त योजनाओं में मूल आवंटियों द्वारा आवंटित भूखण्डों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है जिसपर छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर कालोनी का स्वरूप देते हुए भवनों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इन योजनाओं हेतु आवंटित भूखण्डों को शासन स्तर से कय विक्रय की अनुमति भी प्राप्त है तथा राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम भी दर्ज हो रहा है। उक्त क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बसावट भी हो चुकी है तथा अग्रेत्तर निरन्तर भवन निर्माण आदि का कार्य जारी है। जिनकी प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नोटिस आदि की कार्यवाही की गयी है/की जा रही है परन्तु टिहरी विस्थापित क्षेत्र होने के कारण कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त न होने के फलस्वरूप वर्तमान तक उक्त क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति/शमन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा रही है। इन कालोनियों में समस्त अवस्थापना सुविधाएं पूर्व से उपलब्ध हैं, जो विधायक निधि, अन्य संस्थाओं अथवा स्वयं से विकसित की गयी हैं। प्रश्नगत क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति/शमन की कार्यवाही न करने के कारण क्षेत्र के निवासियों द्वारा निरन्तर मानचित्र स्वीकृति /शमन किये जाने का अनुरोध भी किया जा रहा है।


उक्त के परिपेक्ष्य में हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत टिहरी विस्थापित की ऐसी कालोनियां जिनका भू-उपयोग आवासीय है, में मौके पर उपलब्ध मार्ग के आधार पर भवन मानचित्र की स्वीकृति/शमन की कार्यवाही की जानी उचित प्रतीत हो रही है। इस कार्यवाही से क्षेत्र को नियमित करते हुए आमजन को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा सकेंगी तथा इस कार्यवाही से प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।


तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रास्ताविक जेशी
अभिशासी अभियन्ता

अन्त में सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा० अध्यक्ष, एच०आर०डी०एव/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/ Commissioner

(14)

मद संख्या 77 (16)

हरिद्वार महायोजना-2025 की विसंगतियों के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार महायोजना-2025 में निम्नलिखित विसंगतियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। जिनपर विचार किया जाना अति आवश्यक है। बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

- भूपतवाला में एन0 एच0 मार्ग से 18 मीटर प्रस्तावित मार्ग जोकि वर्तमान में पीपल वाली गली से होते हुए भारत मातापुरम और अंत में सप्तऋषि मार्ग पर मिलती हैं। प्रस्तावित मार्ग वर्तमान में अधिकांश आश्रमों/भवनों के ऊपर से होते हुए गुजर रही हैं। जिस पर प्रस्तावित मार्ग बनना संभव नहीं हैं।
- इसी प्रकार जो चिन्मय डिग्री कॉलेज से 50 मीटर प्रस्तावित मार्ग बहमपुरी और रावली महदूद से होते हुए सिडकुल-बहादुराबाद मार्ग पर मिलती हैं। रावली महदूद व बहमपुरी में पूर्व निर्मित भवनों के ऊपर से गुजर रही हैं। जिस पर प्रस्तावित मार्ग बनना संभव नहीं हैं।
- सत्यम विहार कॉलोनी और जी0 डी0 पुरम व आर0 के0 पुरम कॉलोनी को आवासीय नहीं दिखाया गया हैं। जबकि कॉलोनी प्राधिकरण से स्वीकृत हैं।
- ललता राव पुल से जो हिल बाई पास पुरानी industrial Area की ओर जा रहा हैं। ललता राव पुल और 30 मीटर महायोजना मार्ग के मध्य में भू-उपयोग नहीं दिखाया गया हैं।
- भगतसिंह चौक से रेलवे स्टेशन ज्वालापुर तक 24 मीटर महायोजना मार्ग व रेलवे ट्रैक के बीच में जो खाली जगह हैं। उसमें भू-उपयोग नहीं दिखाया गया हैं।
- लल्लताराव चौक से हरकी पैड़ी होते हुए भीमगोड़ा, खडखडी तथा दुधाधारी चौक तक महायोजना मार्ग 24 मी0 दिखायी है जबकि मौके पर कहीं 25 फीट, 30 फीट तथा अधिकतम 45 फीट है, इससे मानचित्र स्वीकृति में व्यवहारिक परेशानी हो रही हैं।

तदनुसार प्रस्ताव/बिन्दु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

माधवानन्द झाँसी
अभिशादी अभियन्ता

पत्रावली संख्या:-

2023

मद संख्या 75 (17)
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद